

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर

क्रमांक-/-/मु./याता. / संस्था/पी-।/2021/ ७९९

दिनांक: 12.10.2021

कार्यालय आदेश

निगम मण्डल के निर्णय संख्या 14/2010 दिनांक 18.02.2010 पर राज्य सरकार की अनुमति से आदेश क्रमांक मु0/कार्मिक/१-सी/एफ-६१५-।।/१०/ ५९० दिनांक 25.06.2010 के द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम 2010 लागू किया गया है। उक्त विनियम में निगम मण्डल के निर्णयानुसार मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को पात्रता के आधार पर आदेश संख्या 1367 दिनांक 06.08.2013 के द्वारा सहायक यातायात निरीक्षक के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का प्रावकान किया गया है।

निम्नांकित मृतक कर्मचारी के आश्रित को सहायक यातायात निरीक्षक के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने के संबंध में श्रीमान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा दिये गये अनुमोदन उपरान्त निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आगार में नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	मृतक कर्मचारी का नाम पद पदस्थापन स्थान	मृत्यु दिनांक	आश्रित का नाम	संबंध	शैक्षणिक योग्यता	जन्म तिथि	पता	पदस्थापन स्थान
1.	स्वा. श्री माधवपुरी गोस्वामी, भूपू चालक, उदयपुर आगर	०९.०२. २०२१	श्री इयामपुरी गोस्वामी	पुत्र	बीटेक	०४.०६. १९८८	ग्राम पोस्ट कुम्हड़ी वाया भीष्ठर, तहसील भीष्ठर जिला उदयपुर ३१३६०३	प्रतापगढ़

नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार हैं:

1. इनकी सेवाएं राजस्थान परिवहन निगम कर्मचारी एवं कार्यशाला कर्मी स्थाई आदेश 1965 के तहत शासित होंगी।
2. मृतक कर्मचारी के आश्रित को लेखा विभाग के आदेश क्रमांक एफ.४(१३)/लेखा/नियम/१७२/ १५/९७६२ दिनांक 23.10.2015 में वर्णित प्रावधानानुसार निगम में सहायक यातायात निरीक्षक के रित पद पर फिस मासिक पाविश्रमिक ८९५०/-रु. प्रतिमाह पर दो वर्ष के परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण पर रित पद के विरुद्ध अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की जाती है तथा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इहें नियमानुसार स्थाई/नियमितीकरण की कार्यवाही कर पाएंगी। उनिहें पै-वेंड ५२००-२०२०० में ग्रेड पै-२८००/- अनुसार वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे। नियुक्ति शर्तों में अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम 2010 के नियम संख्या ४(२) में वर्णित प्रावधानानुसार मृतक कर्मचारी के आश्रित द्वारा परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों का भरण पोषण नहीं करने पर सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी। तथा मुख्य प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि आश्रित द्वारा ड्यूटी ज्वाईन करने से पूर्व उससे परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों का भरण पोषण एवं कर्मचारी की निगम वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित परिवार सदस्यों द्वारा निगम के विरुद्ध एमएसीटी क्लेम दायर नहीं करने बाबत १०/-रु. के नैन ज्यूडिशियल स्टोर्प पर संलग्न प्रारूप में लिखित वचनबद्धता देते हुए शैक्षणिक योग्यता, जन्म दिनांक की सत्यापित छायाप्रतियों की मूल प्रमाण पत्रों से पुष्टि करनी होगी तथा यह भी सुनिश्चित किया जावे कि इनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लम्बित नहीं है।
3. ड्यूटी के दौरान किसी तरह की अनुशासनहीनता करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
4. कार्यग्रहण करते समय शैक्षणिक योग्यता व अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित छाया प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी तथा उक्त दस्तावेजों की पुष्टि हेतु मूल प्रमाणपत्र/दस्तावेज लाना आवश्यक है।
5. कर्मचारी (अर्यर्थी) द्वारा ड्यूटी ज्वाईन करते समय निगम द्वारा अनुमोदित अस्पताल (सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर/हरबक्स काविटिया अस्पताल, जयपुर/रुक्मणी देवी बैंक प्रसाद जयपुरिया अस्पताल, जयपुर/राजस्थान राज्य के जिला स्तरीय - 'राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/राजकीय मेडिकल अस्पताल' में से किसी एक) के मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण करवाया जाकर निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी (संलग्न-प्रपत्र)
6. अर्यर्थी के विवाहित होने की स्थिति में दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो जीवित बच्चों से अधिक नहीं होने का शपथ पत्र ड्यूटी ज्वाईन के समय प्रस्तुत करना होगा एवं परिपत्र संख्या 3175 दिनांक 10.05.2012 में वर्णित दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
7. अर्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लम्बित नहीं होने एवं चारित्रिक आचरण स्वच्छ होने के लिए संबंधित गृह जिले के पुलिस अधीक्षक स्तर के सक्षम अधिकारी का पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र ड्यूटी ज्वाईन करने के समय प्रस्तुत करना होगा।
8. दो वर्ष का परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने तथा कार्य के दौरान अनुशासन भंग करने/ दुराचरण/ कार्य के प्रति गम्भीर लापरवाही आदि की शिकायत प्राप्त होने पर परिवीक्षाकाल समाप्त करते हुए सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।
9. निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत इनका पदस्थापन/स्थानान्तरण कहीं भी किया जा सकता है।

(८)

10. संबंधित मुख्य प्रबन्धक हन्हे अपने रत्तर पर व्यावहारिक ज्ञान/प्रशिक्षण देंगे।
 11. आयर्थी को आदेश प्राप्ति के 15 दियस में संबंधित मुख्य प्रबन्धक के समक्ष ड्यूटी ज्वार्डन करना आवश्यक होगा।

(M1
12/12/21)

(लोकेश कुमार भहल)

कार्यकारी निदेशक(यातायात)

दिनांक: 12.10.2021

क्रमांक:-/मु./याता. /संखा/पी-1/2021/799

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी संघिय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय, रापनि मुजायपुर
- 2 कार्यकारी निदेशक(प्रशासन)रापनि मुजायपुर को उनके नोट कमाके के कम में।
- 3 मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक(वित्त)रापनि आगर को भेजकर लेख है कि परिपत्र संख्या 3175 दिनांक 10.5.12 में वर्णित दिशा-निर्देशो के अनुसार शैक्षणिक योग्यता दस्तावेजों का संबंधित बोर्ड से सत्यापन कराने की कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करायें साथ ही मृतक कर्मचारी के सेवानिलेख में आग्रित/आश्रिता के नियुक्ति आदेश की आवश्यक रूप से प्रयोगित करायें। संलग्न:-उपरोक्तानुसार।
- 4 श्री.....
- 5 आदेश पत्रावली।

(M1
12/12/21)

(लोकेश कुमार भहल)

कार्यकारी निदेशक(यातायात)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर

क्रमांक-: /मु. /याता. /परि./पी-2/2021/800

दिनांक:- 12.10.2021

कार्यालय आदेश

निगम मण्डल के निर्णय संख्या 14/2010 दिनांक 18.2.2010 पर राज्य सरकार की अनुमति से कार्यालय आदेश संख्या मुख्या/कामिक/1-सी/एफ 615-11/10/590 दिनांक 25.6.2010 को निगम मण्डल के द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम 2010 लागू किया गया है। उक्त विनियम में वर्णित प्रवाधानानुसार श्रीमान् अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदन से निम्नांकित मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को परिचालक के पद पर फिल्स मासिक पारिश्रमिक 7900/- रुपये प्रतिमाह पर दो वर्ष के परीक्षाकाल प्रशिक्षण पर उनके नाम के सामने अकित आगारो में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाती है।-

क्र. सं.	मृतक कर्मचारी का नाम पद पदस्थापन स्थान	मृत्यु दिनांक	आश्रित का नाम	संबंध	शैक्षणिक योग्यता	जन्म तिथि	पता	पदस्थापन स्थान
1.	स्व० श्री रंगी लाल मीणा भूपू . चालक, दोसा आगर	05.06. 1998	श्री इन्द्राज मीणा	पुत्र	सी० सेकेप्डरी	05.02. 1988	ग्राम गढ़ी पट्टी, गोवडा मीणा गोवडा, करोली 322234	हिम्छीन
2.	स्व० नन्दराम, भूपू . चालक भरतनगर आगर	24.02. 2003	श्री प्रदीप कुमार	पुत्र	सी० सेकेप्डरी	16.11. 1999	ग्राम - नसोपुर, पोस्ट भौंक तह कोट कासिम जिला अलवर 301707	अलवर

नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार हैं:

- इनकी सेवाएं राजस्थान परिवहन निगम कर्मचारी एवं कार्यशाला कर्मी स्थाई आदेश 1965 के तहत शासित होती है।
- परिचालक के पद पर ड्यूटी ज्याईन करने से पूर्व आश्रित के विवाहित होने की स्थिति में दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो जीवित बच्चों से अधिक नहीं होने का शपथ पत्र लिया जावे। परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अव्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की सख्ता में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह कि जहां किसी अव्यर्थी पर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है, किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं तो बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।
- ड्यूटी ज्याईन करने से पूर्व आश्रित द्वारा निगम के अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम 2010 के नियम स००४(२)में वर्णित प्रवाधानानुसार मृतक कर्मचारी पर आश्रित अन्य सदस्यों का उचित तौर पर भरण पोषण करेगा एवं किसी समय यह सवित हो जाता है कि परिवार के आश्रित सदस्यों की उपेक्षा हो रही है या उचित भरण पोषण नहीं किया जा रहा है, तो अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति व्यक्ति को नियुक्ति अधिकारी क्यों नहीं सेवा समाप्त कर दी जावे, स्पष्टीकरण मांगते हुये कारण बताओ नोटिस जारी कर एक अवसर प्रदान करने के पश्चात नियुक्ति समाप्त कर सकेगा। इस आशय का शपथ पत्र 10.00 रुपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाप पर लिया जावेगा।(प्रारूप संलग्न)
- ड्यूटी ज्योइन करने से पूर्व कर्मचारी की निगम वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित सदस्यों द्वारा निगम के विरुद्ध एम.ए.सी.टी.क्सेम दायर नहीं करने बावजु 10/- रुपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाप पर (प्रोफार्मा) में लिखित वचनबद्धता देनी होगी।(प्रारूप संलग्न)
- दो वर्ष का परीक्षाकाल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हे निगम नियमानुसार स्थाई/नियमितीकरण की कार्यवाही की जावेगी।
- निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत इनका पदस्थापन/स्थानान्तरण कहीं भी किया जा सकता है।
- वाहन में समस्त यात्रियों को टिकिट जारी कर, जारी टिकिटों को मार्ग विपत्र में इन्द्राज करने के पश्चात ही वाहन रवाना करनी होगी।
- वाहन में बिना टिकिट यात्री पाये जाने या किसी भी प्रकार की अन्य अनियमितता में लिप्त पाये जाने अथवा अनुशासन भंग करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- कर्मचारी (अभ्यर्थी) द्वारा ड्यूटी ज्याईन करते समय निगम द्वारा अनुमोदित अस्पताल (सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर/हरबक्स कायटिया अस्पताल, जयपुर/रुक्मणी देवी बेंगी प्रसाद जयपुरिया अस्पताल, जयपुर/राजस्थान राज्य के जिला स्तरीय - 'राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/राजकीय मेडिकल अस्पताल' में से किसी एक) के मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण करवाया जाकर निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी (संलग्न-प्रपत्र)
- कार्यग्रहण करते समय शैक्षणिक योग्यता/परिचालक लाइसेंस/बैज एवं अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित छाया प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी तथा उक्त दस्तावेजों की पुष्टि हेतु मूल प्रमाणपत्र/दस्तावेज लाना आवश्यक है।
- कार्यग्रहण करते समय निगम नियमानुसार प्रतिशुरु राशि जमा करानी होगी।
- ड्यूटी ज्याईन करने से पूर्व आश्रित आवेदक द्वारा स्वयं के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लघित करें।

- 13 परिपत्र सं. 3175 दिनांक 15.10.12 में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार डयुटी ज्वाइन कराने से पूर्व शैक्षणिक दस्तावेजों को संबंधित बोर्ड से सत्यापन कराने की कार्यवाही आवश्यक रूप से कराये।

14 मुख्य प्रबन्धक इहे मार्ग पर भेजने से पूर्व परिचालक पद से संबंधित कार्यों का व्यवहारिक व सेवानिक प्रशिक्षण आवश्यक रूप से देंगे।

15 आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में डयुटी ज्वाइन करना आवश्यक है।

$$\frac{1}{2}x$$

(लाक्ष कुमार सहल)
कार्यकाली निदेशक (आवायाव)

क्रमांक: / मु. / याता. / परि. / पी-२/ २०२१/ ८०० दिनांक: १२.१०.२०२१

प्रदिविपि निम्न को सद्यार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निजी सचिव अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय, रापनि मु.जयपुर
 - कार्यकारी निदेशक(प्रशासन)रापनि मु.जयपुर को उनके नोट कमाक के क्रम में।
 - मुख्य प्रबंधक / प्रबंधक(वित्त)रापनि ——————आगरा को भेजकर लेख है कि परिषत्र संख्या 175 दिनांक 10.5.12 में वर्णित दिशा—निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता दस्तावेजों का संबंधित बोर्ड से सत्यापन कराने की कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करावे। साथ ही मृतक कर्मचारी के सेवामिलेख में आश्रित/आश्रिता के नियुक्ति आदेश की आवश्यक रूप से प्रविष्टि करावे। संलग्न—उपरोक्तानुसार।
 - श्री
 - आदेश प्राप्तवृत्ति।

~~171~~
~~121X~~



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

परिवहन मार्ग, जयपुर-302001
दूरभाष नं. 0141-2373043, 2372747

क्रमांक-मुख्या/कार्तिक/1-वी/2021/ २७७

दिनांक- (१०.१०.२०२१)

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अनुकाम्यात्मक नियुक्ति विनियम, 2010 के अन्तर्गत श्रीमान् अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय की अनुमति से रव० श्री रामनिवास खण्डल, गृहपूर्ण में कमिश्न राजायक के रिक्त पद पर 7900/- (पात्र दृजार नीं री रुपये) प्रतिमाह फिरवा मार्शिक पदस्थापन वित्त विभाग मुख्यालय जयपुर से किया जाता है।
इनकी नियुक्ति शर्त निम्नानुसार होती है-

1. इनकी सेवाएं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी सेवा विनियम एवं कार्यशाला कर्मचारी रथाई आदेश-1985 के अन्तर्गत पदस्थापन के अनुसार शायित होती।
2. दो वर्ष का परीक्षिकाल प्रशिक्षण साक्षतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें कमिश्न राजायक के पद पर PB-1 रेंजे पे बैंड 5200-20200 में बैंड पे-2400 अनुसार वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होते।
3. निगम के दोत्रायिकार के अन्तर्गत इनका पदस्थापन कही भी किया जा सकता है।
4. निगम सेवा में कार्यरत रहते हुए किसी प्रकार की अग्रिमिता अथवा अनुशासन भंग करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यालयी की जावेंगी।
5. यह नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों की अवधि के अन्दर पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा, अन्यथा उस आदेश रूपतः ही निरस्त मान जावेंगी।
6. इन्हें स्थूली ज्वाईन करवाते समय निगम द्वारा अनुमोदित अरपताल सावाई मानसिंह अरपताल, जयपुर/दृष्टव्य कावटिया अरपताल, जयपुर/कुकमी देवी वैष्णवीप्रसाद जयपुरिया अरपताल, जयपुर, के साथ-साथ राजस्थान राज्य के निला रत्नेश्वर-“शक्तीय मैडिकल कॉलेज एवं अरपताल/शक्तीय मैडिकल अरपताल” के मैडिकल बोर्ड से मैडिकल परीक्षण करवाया जाकर निगम द्वारा नियमित प्रत्यवर्त (संलग्न प्रपत्र) में रिपोर्ट प्रस्तुत करती होती।
7. कार्यप्रधान करवाने से पूर्व इनके आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं होने के संबंध में पुलिस वेरिफिकेशन संवित थानायिकारी से करवाया जावेगा।
8. इन्हें शैक्षणिक योग्यता, आयु के सात्यापन हेतु मूल प्रमाण पत्रों की प्राप्तानि प्रतिया स्थूली ज्वाईन के समय प्रस्तुत करती होती।
9. आश्रित द्वारा परिवार सदस्यों का भरण पौष्टि करने व निगम के विशेष MACT नियम द्वारा नहीं करने वाले 10/- का नीन ज्यूडिशियल रेटाप पर (संलग्न प्रोफाली) में लिखित घवनबद्धता हेतु।
10. इन्हें नियुक्ति के दो वर्ष की अवधि में कार्यालय आदेश संख्या 320 दिनांक 24.06.11 तथा शारण शीर्षक, कार्तिक (क-2) के परिपत्र दिनांक 04.06.2017 व इस कार्यालय के पुष्टाकरण क्रमांक 861 दिनांक 14.08.2017 में नियमित काम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अद्दता अधिकारी करनी होगी तथा उक्त पृष्ठे परिया इस कार्यालय के आदेश संख्या 416 दिनांक 06.11.16 के अनुसार नियुक्ति के दो वर्ष के मीलर उत्तीर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा असाफल कार्तिकों को बिना युक्तिपूर्वक कारणों के अपाव ने शिथिलता प्रदान नहीं की जाएगी तथा उनके विशेष नियमानुसार कार्यालयी प्रगति ने जावेगी।

(वामपक्ष प्रादेश चुनाव)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

दिनांक- (१२/१०/२१)

क्रमांक-मुख्या/कार्तिक/1-वी/2021/ २७९

प्रतिलिपि-नियमित्यित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु प्रेषित है-~

1. कमिश्न राजायक, मानसीय परिवहन नीती, राजस्थान प्राकार, जयपुर।
2. निली समिति, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
3. निली समिति, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
4. निली समिति रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
5. राजायक लेखायिकारी (मुख्यालय) रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
6. मूल प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त) रापनि, डीलक्स आगर को गेजकर लौख है कि आपने रत्न रोपी अधिकारी को सूचित करे।
7. प्राप्ती, कार्तिक (1/वी), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
8. श्रीमान् लक्ष्मी शर्मा पत्नी रम. श्री रामनिवास खण्डल, निवासी 47, रावीदय एन्डलोव कॉलोनी, काम्प्यूटर के वास निविनपुरा, कालवाड रोड डोडवाडा, जयपुर निला जयपुर निवासी 302012 (नियमित रजिस्टर्ड पृष्ठी)। संलग्न प्रपत्र
9. निली/आदेश पत्रावली।

(१२/१०/२०२१)

उप मठा प्रबन्धक (प्रशासन)



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
परिवहन मार्ग, जयपुर-302001

क्रमांक—मुख्या/कार्मिक/1-बी/2021/ ३००

दिनांक— १२। १०। २०२१

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम, 2010 के अन्तर्गत श्रीगान् अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय की अनुमति से स्व० श्री सुन्दर लाल मीणा, भूपू चालक, श्रीमाधोपुर आगार की आश्रित पुत्री सुश्री पूजा कुमारी मीणा को मृतक कर्मचारी के आश्रित के रूप में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर 7900/- (सात हजार नौं सौ रुपये) प्रतिमाह फिक्स मासिक पदस्थापन श्रीमाधोपुर आगार में किया जाता है।

इनकी नियुक्ति शर्तें निम्नानुसार रहेगी:-

1. इनकी सेवाएं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी सेवा विनियम एवं कार्यशाला कर्मचारी रथाई आदेश-1965 के अन्तर्गत पदस्थापन के अनुसार शासित होगी।
2. दो वर्ष का परीविक्षाकाल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें कनिष्ठ सहायक के पद पर PB-1 रनिंग पे बैण्ड 5200-20200 में ग्रेड पे-2400 अनुसार वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।
3. निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत इनका पदस्थापन कहीं भी किया जा सकता है।
4. निगम सेवा में कार्यरत रहते हुए किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अनुशासन भंग करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. यह नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस की अवधि के अन्दर पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेगे।
6. इन्हें ड्यूटी ज्वाईन करवाते समय निगम द्वारा अनुमोदित अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर/हरबक्स कांवटिया अस्पताल, जयपुर/रुकमणी देवी बेनीप्रसाद जयपुरिया अस्पताल, जयपुर, के साथ-साथ राजस्थान राज्य के जिला स्तरीय—"राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/राजकीय मेडिकल अस्पताल" के मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण करवाया जाकर निगम द्वारा नियमित प्रपत्र (संलग्न प्रपत्र) में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इनके आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं होने के संबंध में पुलिस वेरिफिकेशन संबंधित थानाधिकारी से करवाया जावेगा।
8. इन्हें शैक्षणिक योग्यता, आयु के सत्यापन हेतु मूल प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिनियोगी ड्यूटी ज्वाईन के समय प्रस्तुत करनी होगी।
9. आश्रित द्वारा परिवार सदस्यों का भरण पोषण करने व निगम के विरुद्ध MACT क्लेम दायर नहीं करने बाबत 10/- का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर (संलग्न प्रोफार्म) में लिखित वचनबद्धता देनी होगी।
10. इन्हे नियुक्ति के दो वर्ष की अवधि में कार्यालय आदेश संख्या 320 दिनांक 24.06.11 तथा शासन संविधि, कार्मिक (क-2) के परिपत्र दिनांक 04.05.2017 व इस कार्यालय के पृष्ठाकान क्रमांक 861 दिनांक 14.08.2017 में निर्धारित कम्प्यूटर कोर्स उर्तीण करने की अर्हता अर्जित करनी होगी तथा टंकण गति परीक्षा इस कार्यालय के आदेश संख्या 416 दिनांक 08.11.16 के अनुसार नियुक्ति के तीन वर्ष के भीतर उत्तीर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा असफल कार्मिकों को बिना युक्तियुक्त कारणों के अभाव में शिथिलता प्रदान नहीं की जाएगी तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(जगदीश प्रसाद बुनकर)

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

दिनांक— १२। १०। २०२१

क्रमांक—मुख्या/कार्मिक/1-बी/2021/ ३००

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
4. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त) रापनि, श्रीमाधोपुर आगार को भेजकर लेख है कि अपने स्तर से भी आश्रित को सूचित करे तथा ज्वाईनिंग रिपोर्ट की प्रति प्रेषित करे।
5. प्रभारी, कार्मिक (1/सी), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
6. सुश्री पूजा कुमारी मीणा पुत्री स्व. श्री सुन्दर लाल मीणा, निवासी :— वार्ड न. 14, बाईपास रोड कॉवट तहसील खण्डेला जिला सीकर पिन 332708 (जरिये रजिस्टर्ड ए.डी.)। संलग्न प्रपत्र
7. निजी/आदेश पत्रावली।

८। १०। २०२१

उप महा प्रबन्धक (प्रशासन)



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

परिवहन मंत्री, जयपुर-302001
फॉरमेल नं. 0141-2373043, 2372747

क्रमांक-मुख्य/कार्मिक/1-बी/2021/ ३०।

दिनांक- १२.१०.२०२१

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अनुकूलम्यात्मक नियुक्ति नियम 2010 के अन्तर्गत श्रीमान् अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय की अनुमति से स्व० श्री कुमारासन, भूपू छालक, बाढ़मौर जागर के अधित पुत्र श्री मामीलाल को मृतक कर्मचारी के अधित के स्वयं में कनिष्ठ सहायक के चिह्न पट पर 7900/- (सतत हजार नीं सौ रुपये) इतिहास किझा छातिक पारिशमिक पर दो वर्ष के परिविकाल परीक्षण पर अनुकूलम्यात्मक नियुक्ति प्रदान की जाकर, पदस्थापन के द्वाजौधपुर में किया जाएगा है।

इनकी नियुक्ति हाँ नियमानुसार रहेगी—

१. इनकी सेवाएं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी सेवा विभिन्न एवं कार्यशाला कर्मचारी स्थाई आदेश-1985 के अन्तर्गत पदस्थापन के अनुसार होसित होंगी।
२. दो वर्ष का परीक्षिकाल परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें कनिष्ठ सहायक के पद पर PB-1 रनिग पे बैष्ट 5200-20200 में ब्रेड पे-2400 अनुसार देतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगी।
३. नियम के हीत्राधिकार के अन्तर्गत इनका पदस्थापन कहीं भी किया जा सकता है।
४. नियम सेवा में कार्यरत रहते हुए किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अनुशासन भग करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
५. यह नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस की अवधि के अन्दर पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेगे।
६. इन्हे दृश्यटी ज्वाईन करवाते समय नियम द्वारा अनुमोदित अस्पताल सदाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर/हरबज्जस काविटिया अस्पताल, जयपुर/रुकमणी देवी बैनीप्रसाद जयपुरिया अस्पताल, जयपुर के साथ-साथ राजस्थान राज्य के जिला स्तरीय-“राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/ राजकीय मेडिकल अस्पताल” के मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण करवाया जाकर नियम द्वारा निर्धारित प्रपत्र (संलग्न प्रपत्र) में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
७. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इनके आपराधिक प्रवृत्ति में लिपा नहीं होने के सब्द में पुलिस दैरिकिकेशन संबंधित थानाधिकारी से करवाया जावेगा।
८. इन्हे ईशाणिक योग्यता, आयु के सत्यापन हेतु मूल प्रमाण पत्रों की प्रगाणित प्रतिक्रिया दृश्यटी ज्वाईन के समय प्रस्तुत करनी होगी।
९. आधित द्वारा परिवार सदस्यों का भरण पोषण करने व नियम के विरुद्ध MACT क्लेम दायर नहीं करने वाले 10/- का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर (संलग्न प्रोफार्मा) में लिखित घबनबद्धता देनी होगी।
१०. इन्हे नियुक्ति के दो वर्ष की अवधि में कार्यालय आदेश संख्या 320 दिनांक 24.06.11 तथा शासन साधिव, कार्मिक (क-2) के परिपत्र दिनांक 04.05.2017 व इस कार्यालय के पृष्ठाकान क्रमांक 861 दिनांक 14.08.2017 में निर्धारित कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अईता अधित करनी होगी तथा टक्कण गति परीक्षा इस कार्यालय के आदेश संख्या 416 दिनांक 08.11.16 के अनुसार नियुक्ति के तीन वर्ष के भीतर उत्तीर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा असफल कार्मिकों को विना युक्तियुक्त कारणों के अभाव में शिथिलता प्रदान नहीं की जाएगी तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अगले में लायी जावेगी।

(जगदीश प्रसाद तुरकरे)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

क्रमांक-मुख्य/कार्मिक/1-बी/2021/ ३०।

दिनांक- १२/१०/२०२१

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

१. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
२. निजी साधिव, अव्यक्त एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
३. निजी साधिव, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
४. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त) रापनि, बाढ़मौर आगर /के.का. जोधपुर को भेजकर लेख है कि अपने स्तर से भी आधित को रूपित करे तथा ज्वाईनिग रिपोर्ट की प्रति प्रेषित करे।
५. प्रगाणी, कार्मिक (1/सी), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
६. श्री मामीलाल पुत्र रवि, श्री कुमारासन, निवारी :- ग्राम पोरट घौढ़ा लहरील फीपाड़शहर जिला जोधपुर पिन 342601, (जरिये रजिस्टर्ड ए.डी.)। संलग्न प्रपत्र
७. निजी/आदेश पत्रावली।

१२/१०/२०२१
उप महा प्रबन्धक (प्रशासन)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम



परिवहन मार्ग, जयपुर-302001
दूरभाष नं. 0141-2373043, 2372747

क्रमांक-मुख्या/कार्मिक/।-बी/21/ ५१६

दिनांक- १२.१०.२०२१

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अनुकूल्यात्मक नियुक्ति विनियम, 2010 के अन्तर्गत श्रीमान् अच्युत एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय की अनुमति से स्व० श्री रामकिशोर, भूपू मैके, ग्रेड ग, जयपुर आगार के आश्रित पुत्र श्री भवर सिंह सोलंकी को मृतक कर्मचारी के आश्रित के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद पर ५४००/- रुपये प्रतिमाह फिक्स मासिक पारिश्रमिक पर दो वर्ष के परीक्षाकाल प्रशिक्षण पर अनुकूल्यात्मक नियुक्ति प्रदान की जाकर, पदस्थापन विधि दिमाग, मुख्यालय जयपुर में किया जाता है।

इनकी नियुक्ति शर्तें निम्नानुसार रहेगी:-

१. इनकी सेवाएं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वर्कर्स एवं कार्यशाला कर्मचारी स्थाई आदेश-1965/राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी सेवा विनियम, 1965 के अन्तर्गत पदस्थापन के अनुसार शासित होगी।
२. दो वर्ष का परीक्षाकाल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर PB-1 रनिग पे बैण्ड 5200-20200 में ग्रेड पे-1700 अनुसार वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।
३. निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत इनका पदस्थापन कहीं भी किया जा सकता है।
४. निगम सेवा में कार्यरत रहते हुए किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अनुशासन भंग करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
५. यह नियुक्ति पव्र प्राप्त होने के 15 दिवस की अवधि के अन्दर पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेगे।
६. इन्हें ड्यूटी ज्वाईन करवाते समय निगम द्वारा अनुमोदित अरपताल सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर/हरबक्स कावटिया अस्पताल, जयपुर/रुकमणी देवी देवीप्रसाद जयपुरिया अस्पताल, जयपुर, के साथ-साथ राजस्थान राज्य के जिला स्तरीय-'राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/राजकीय मेडिकल अस्पताल' के मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण करवाया जाकर निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र (संलग्न प्रपत्र) में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
७. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इनके आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं होने के संबंध में पुलिस वेरिफिकेशन सदबित थानाधिकारी से करवाया जावेगा।
८. इन्हे हौकंगिक योग्यता, आयु के सत्यापन हेतु मूल प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ ड्यूटी ज्वाईन के समय प्रस्तुत करनी होगी।
९. आश्रित द्वारा परिवार सदस्यों का भरण पोषण करने व निगम के विरुद्ध MACT क्लेम दायर नहीं करने वालत 10/- का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर (संलग्न प्रोफामा) में लिखित वचनघट्टा देनी होगी।

(जगदीश प्रसाद बुनकर)

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

दिनांक- १२/११/२०२१

क्रमांक-मुख्या/कार्मिक/।-बी/21/ ५१६

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

१. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
२. निजी सधिव, अच्युत एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
३. निजी सधिव, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
४. कार्यकारी निदेशक (विधि), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
५. सहायक लेखाधिकारी (मुगतान) रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
६. प्रमारी, कार्मिक (१/सी), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
७. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), जयपुर आगार को भेजकर लेख है कि अपने स्तर से भी आश्रित को सूचित करे।
८. श्री भवर सिंह सोलंकी पुत्र स्व० श्री रामकिशोर निवासी-प्लाट नं. 11 तेजाली के मन्दिर के पास श्योपुर, प्रतापनगर सागांनेर जयपुर पिन .302033 (जरिए रजि. ए.डी.) संलग्न प्रपत्र
९. आदेश पत्राली।

उप महा प्रदधक (प्रशासन)



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

परिवहन मार्ग, जयपुर-302001
दूरभाष नं. 0141-2373043, 2372747

क्रमांक-मुख्या/कार्मिक/।-बी/21/ ५२७

दिनांक- १०.१०.२०२१

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम, 2010 के अन्तर्गत श्रीमान् आध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय की अनुमति से स्व० श्री किशोर सिंह राठौड़, गूप्त चालक, डूगरपुर आगार की आश्रिता पत्नी श्रीमती सोभाग कॉवर को मृतक कर्मचारी के आश्रित के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद पर ५४००/- रूपये प्रतिमाह फिक्स मासिक पारिश्रमिक पर दो वर्ष के परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की जाकर, पदस्थापन अजयमेरु आगार में किया जाता है।

इनकी नियुक्ति शर्तें निम्नानुसार रहेगी:-

१. इनकी सेवाएं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वर्कर्स एवं कार्यशाला कर्मचारी स्थाई आदेश-1965/राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी सेवा विनियम, 1965 के अन्तर्गत पदस्थापन के अनुसार शासित होगी।
२. दो वर्ष का परीविक्षाकाल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर PB-1 रनिंग पे बैण्ड 5200-2020 में ग्रेड पे-1700 अनुसार वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।
३. निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत इनका पदस्थापन कहीं भी किया जा सकता है।
४. निगम सेवा में कार्यरत रहते हुए किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अनुशासन भंग करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
५. यह नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस की अवधि के अन्दर पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निररत माने जावेगे।
६. इन्हें ड्यूटी ज्वाईन करवाते समय निगम द्वारा अनुमोदित अरपताल सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर/हरबक्स कांवटिया अस्पताल, जयपुर/रुकमणी देवी देवी प्रसाद जयपुरिया अरपताल, जयपुर, के साथ-साथ राजस्थान राज्य के जिला स्तरीय-'राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अरपताल/राजकीय मेडिकल अस्पताल' के मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण करवाया जाकर निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र (संलग्न प्रपत्र) में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
७. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इनके आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं होने के संबंध में पुलिस वेरिफिकेशन रांबंधित थानाधिकारी से करवाया जावेगा।
८. इन्हें शैक्षणिक योग्यता, आयु के सत्यापन हेतु मूल प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ ड्यूटी ज्वाईन के समय प्रस्तुत करनी होंगी।
९. आश्रित द्वारा परिवार सदस्यों का भरण पोषण करने व निगम के विरुद्ध MACT क्लेम दायर नहीं करने वालत 10/- का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर (संलग्न प्रोफार्मा) में लिखित वचनबद्धता देनी होगी।

(जगदीश प्रसाद बुनकर)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

दिनांक- १२.१०.२०२१

क्रमांक-मुख्या/कार्मिक/।-बी/21/ ५२७

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

१. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
२. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
३. निजी सचिव, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
४. प्रभारी, कार्मिक (१/सी), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
५. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), डूगरपुर / अजयमेरु आगार को भेजकर लेख है कि अपने स्तर से भी आश्रित को सूचित करें तथा ज्वाईनिंग रिपोर्ट की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।
६. श्रीमती सोभाग कॉवर पत्नी स्व० श्री किशोर सिंह राठौड़ निवासी-ग्राम नैणीया तह. परबतसर जिला नागौर पिन 341512(जरिए रजि. ए.डी.) संलग्न प्रपत्र
७. आदेश पत्रावली।

उप महा प्रबन्धक (प्रशासन)



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

परिवहन मार्ग, जयपुर-302001
दूरभाष नं. 0141-2373043, 2372747

क्रमांक-मुख्या/कार्मिक/।-बी/21/ ५२४

दिनांक- १२. १०. २०२१)

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम, 2010 के अन्तर्गत श्रीमान् अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय की अनुमति से स्व० श्री सूरज मल रैगर, भूपू चालक, सांगानेर आगार का आश्रिता पत्नी श्रीमती छोटी देवी को मृतक कर्मचारी के आश्रित के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद पर 5400/- रूपये प्रतिमाह फिक्स मासिक पारिश्रमिक पर दो वर्ष के परिवेशाकाल प्रशिक्षण पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की जाकर, पदस्थापन वित्त विभाग, मुख्यालय जयपुर में किया जाता है।

इनकी नियुक्ति शर्ते निम्नानुसार रहेगी:-

1. इनकी सेवाएं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वर्कर्स एवं कार्यशाला कर्मचारी स्थाई आदेश-1965/राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी सेवा विनियम, 1965 के अन्तर्गत पदस्थापन के अनुसार शासित होगी।
2. दो वर्ष का परीवेशाकाल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर PB-1 रनिंग पे बैण्ड 5200-20200 में ग्रेड पे-1700 अनुसार वैतन एवं नियमानुसार अन्य गते देय होंगे।
3. निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत इनका पदस्थापन कहीं भी किया जा सकता है।
4. निगम सेवा में कार्यरत रहते हुए किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अनुशासन भंग करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. यह नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस की अवधि के अन्दर पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेगे।
6. इन्हें ड्यूटी ज्वाईन करवाते समय निगम द्वारा अनुमोदित अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर/हरवक्स कांवटिया अस्पताल, जयपुर/रुकमणी देवी येनीप्रसाद जयपुरिया अस्पताल, जयपुर, के साथ-साथ राजस्थान राज्य के जिला स्तरीय-“राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/राजकीय मेडिकल अस्पताल” के मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण करवाया जाकर निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र (संलग्न प्रपत्र) में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इनके आपाधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं होने के संबंध में पुलिस वेरिफिकेशन संवधित थानाधिकारी से करवाया जावेगा।
8. इन्हें शैक्षणिक योग्यता, आयु के सत्यापन हेतु मूल प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ ड्यूटी ज्वाईन के समय प्रस्तुत करनी होगी।
9. आश्रित द्वारा परिवार सदस्यों का भरण पोषण करने व निगम के विरुद्ध MACT व्लेम दायर नहीं करने वालत 10/- का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर (संलग्न प्रोफाम) में लिखित वचनबद्धता देवी होगी।

(जगदीश प्रसाद बुनकर)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

दिनांक- १२.१०.२१

क्रमांक-मुख्या/कार्मिक/।-बी/21/ ५२४

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
5. सहायक लेखाधिकारी (भुगतान) रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
6. प्रभारी, कार्मिक (1/सी), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
7. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), जयपुर आगार को भेजकर लेख है कि अपने स्तर से भी आश्रित को सूचित करे।
8. श्रीमती छोटी देवी पत्नी स्व० श्री सूरज मल रैगर निवासी-ई-11, मजदूर नगर सौडाला, अजमेर रोड जयपुर -06 पिन 302006 (जरिए रजि. ए.डी.) संलग्न प्रपत्र
9. आदेश पत्रावली।

उप महा प्रबन्धक (प्रशासन)

१२.१०.२१



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

परिवहन मार्ग, जयपुर-302001

दूरभाष नं. 0141-2373043, 2372747

क्रमांक-मुख्या/कार्मिक/।-बी/21/ ५२९

दिनांक-१२-१०-२०२१

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अनुकम्पात्मक नियुक्ति विनियम, 2010 के अन्तर्गत श्रीमान् अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय की अनुमति से स्व० श्री सोहन लाल, भूपू मैकेंग्रेड आ, केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर के आश्रित पुत्र श्री राजू मण्डरावलिया को मृतक कर्मचारी के आश्रित के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद पर ५४००/-रुपये प्रतिमाह फिक्स मासिक पारिश्रमिक पर दो वर्ष के परीवीक्षकाल प्रशिक्षण पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की जाकर, पदरथापन केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर में किया जाता है।

इनकी नियुक्ति शर्तें निम्नानुसार रहेगी:-

१. इनकी सेवाएं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यर्क्स एवं कार्यशाला कर्मचारी स्थाई आदेश-1965/राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी सेवा विनियम, 1965 के अन्तर्गत पदरथापन के अनुसार शासित होगी।
२. दो वर्ष का परीवीक्षकाल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर PB-1 रेनिंग पे बैण्ड 5200-20200 में ग्रेड पे-1700 अनुसार वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।
३. निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत इनका पदरथापन कहीं भी किया जा सकता है।
४. निगम सेवा में कार्यरत रहते हुए किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अनुशासन भंग करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
५. यह नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस की अवधि के अन्दर पदरथापन कार्यालय में कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेगे।
६. इन्हें ड्यूटी ज्वाइन करवाते समय निगम द्वारा अनुमोदित अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर/हरयाक्स कांवटिया अस्पताल, जयपुर/रुकमणी देवी देवीप्रसाद जयपुरिया अस्पताल, जयपुर, के साथ-साथ राजस्थान राज्य के जिला स्तरीय-“राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/राजकीय मेडिकल अस्पताल” के मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण करवाया जाकर निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र (संलग्न प्रपत्र) में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
७. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इनके आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं होने के संबंध में पुलिस वेरिफिकेशन संवंधित थानाधिकारी से करवाया जावेगा।
८. इन्हें शैक्षणिक योग्यता, आयु के सत्यापन हेतु मूल प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ ड्यूटी ज्वाइन के समय प्रस्तुत करनी होंगी।
९. आश्रित द्वारा परिवार सदस्यों का भरण पोषण करने व निगम के विरुद्ध MACT वलेंग दायर नहीं करने वालत 10/- का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर (संलग्न प्रोफाम) में लिखित चंचनवद्धता देनी होगी।

(जगदीश प्रसाद बुनकर)

कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

दिनांक- १२/११/२१

क्रमांक-मुख्या/कार्मिक/।-बी/21/ ५२९

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

१. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
२. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
३. निजी सचिव, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
४. प्रभारी, कार्मिक (1/सी), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
५. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रापनि के.का. अजमेर को भेजकर लेख है कि अपने स्तर से भी आश्रित को सूचित करे तथा ज्वाइनिंग रिपोर्ट की प्रति इस कार्यालय को भेज।
६. श्री राजू मण्डरावलिया पुत्र स्व० श्री सोहन लाल निवासी-रैगरान मोहल्ला, नसीरावाद रोड माखुपुरा, अजमेर जिला अजमेर पिन 305002 जरिए रजि. ए.डी.) संलग्न प्रपत्र
७. आदेश पत्रावली।

उप महा प्रबन्धक (प्रशासन)



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

परिवहन मार्ग, जयपुर-302001
दूरभाष नं. 0141-2373043, 2372747

क्रमांक-मुख्या/कार्मिक/।-बी/21/ ५३०

दिनांक- १२।१०।२०२१

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अनुकूल्यात्मक नियुक्ति विनियम, 2010 के अन्तर्गत श्रीमान् अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय की अनुमति से स्व० श्री दशरथ सिंह, भूपू चालक, दौसा आगार के आश्रित पुत्र श्री गोविन्द सिंह को मृतक कर्मचारी के आश्रित के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद पर 5400/-रुपये प्रतिमाह फिक्स मासिक पारिश्रमिक पर दो वर्ष के परीवीक्षाकाल प्रशिक्षण पर अनुकूल्यात्मक नियुक्ति प्रदान की जाकर, पदस्थापन टॉक आगार में किया जाता है।

इनकी नियुक्ति शर्ते निम्नानुसार रहेगी:-

1. इनकी सेवाएँ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम वर्कर्स एवं कार्यशाला कर्मचारी स्थाई आदेश-1965/राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी सेवा विनियम, 1965 के अन्तर्गत पदस्थापन के अनुसार शासित होगी।
2. दो वर्ष का परीवीक्षाकाल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर PB-1 रनिंग पे बैण्ड 5200-20200 में ग्रेड पे-1700 अनुसार वेतन एवं नियमानुसार अन्य गते देय होंगे।
3. निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत इनका पदस्थापन कहीं भी किया जा सकता है।
4. निगम सेवा में कार्यरत रहते हुए किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अनुशासन भंग करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. यह नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस की अवधि के अन्दर पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेगे।
6. इन्हें ड्यूटी ज्वाईन करवाते समय निगम द्वारा अनुमोदित अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर/हरबक्स कांवटिया अस्पताल, जयपुर/रुकमणी देवी बेनीप्रराद जयपुरिया अस्पताल, जयपुर, के साथ-साथ राजस्थान राज्य के जिला स्तरीय-“राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/राजकीय मेडिकल अस्पताल” के मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण करवाया जाकर निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र (संलग्न प्रपत्र) में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
7. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इनको आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं होने के संबंध में पुलिस वेरिफिकेशन संबंधित थानाधिकारी से करवाया जावेगा।
8. इन्हें शैक्षणिक योग्यता, आयु के सत्यापन हेतु मूल प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ ड्यूटी ज्वाईन के समय प्रस्तुत करनी होंगी।
9. आश्रित द्वारा परिवार सदस्यों का भरण पोषण करने व निगम के विरुद्ध MACT क्लेम दायर नहीं करने वालत 10/- का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर (संलग्न प्रोफार्म) में लिखित वचनबद्धता देनी होगी।

(जगदीश प्रसाद बुनकर)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

दिनांक- १२।११।२०२१

क्रमांक-मुख्या/कार्मिक/।-बी/21/ ५३०

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय, रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
4. प्रभारी, कार्मिक (1/सी), रापनि, मुख्यालय, जयपुर।
5. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), दौसा/टॉक आगार को भेजकर लेख है कि अपने स्तर से भी आश्रित को सूचित करे तथा ज्वाईनिंग रिपोर्ट की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।
6. श्री गोविन्द सिंह पुत्र स्व० श्री दशरथ सिंह निवासी-ग्राम पोस्ट लावा तहसील मालपुरा जिला टॉक पिन 304504 (जरिए रजि. ए.डी.) संलग्न प्रपत्र
7. आदेश पत्रावली।

उप महा प्रबन्धक (प्रशासन)